FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0221 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/08/2026 15:30 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 01/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 01/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:40 बजे **Time To (समय तक):** 17:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/08/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/08/2026 15:30:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 55 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** TEHASIL KARAYALAY ME PANCHAYAT BHWAN, GRAM MACHARI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIJAY KUMAR MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JALDHARI MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KANETI, RAINI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KANETI, RAINI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARESH KUMAR MEENA		पिता:HARGOVIND MEENA	1. HIRNOTI POST PADA,RAINI,ALWAR,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2025 को वक्त करीब 09.40 एएम पर श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक व्यक्ति ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया और श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्धारा ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देकर उनसे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री विजय कुमार मीणा पुत्र श्री जलधारी मीणा, जाति मीणा, निवासी गांव कनिटी, तहसील रैणी, जिला अलवर होना बताया। तत्पश्चात श्री विजय कुमार मीणा ने एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री विजय कुमार मीणा ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि " मेरे चाचा जी व पिताजी के नाम ग्राम कानेटी में कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर मेरी भुआ व अन्य के द्धारा सिविल कोर्ट राजगढ में दिवानी बाद दायर करने पर कोर्ट ने स्टे आदेश जारी कर दिये, उक्त आदेश से पटवारी ने जमीन के रिकार्ड/जमाबन्दी मे स्टे न्यायालय स्टे का नोट लगा दिया। कोर्ट द्धारा दिनांक 06.04.2022 को उक्त स्टे को खत्म कर दिया। हमनें निर्णय की कॉपी कार्यवाही करने के लिय तहसीलदार को 2022 मे ही दे दी, परन्तु हमारी जमीन के रिकार्ड से नोट नही हटा तो मै दिनांक 28.08.2025 को हल्का पटवारी हिनोटी श्री नरेश मीणा के पास गया और निर्णय की कॉपी देकर नोट हटाने की बातचीत की तो पटवारी ने मुझसे नोट हटाने के लिये 15000/-रूपये रिश्वत के मांगे मैने पटवारी को सात हजार रूपये उसी दिन दे दिये पर पटवारी ने कहा जब तक 15000/- रूपये पूरे नही देंगे नोट नही हटेगा। मैं पटवारी नरेश मीणा को रिश्वत नहीं देना चाहता उसे रंगे हाथ पकडाना चाहता हूं" कृपया कानूनी कार्यवाही करे।" परिवादी ने दरियाफत पर यह भी बताया कि मेरी श्री नरेश मीणा, पटवारी से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री विजय कुमार मीणा ने यह भी बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित व उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्धारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाता है। तत्पश्चात वक्त करीब 11.50 ए.एम पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री विजय कुमार मीणा को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर परिवादी के समक्ष श्री भीम सिंह कानि0 192 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री नरेश मीणा, पटवारी पटवार हल्का हिनोटी के पास जाकर आरोपी पटवारी से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री नरेश मीणा पटवारी से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डर करें साथ ही श्री भीम सिंह कानि0 192 को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री विजय कुमार मीणा को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व आरोपी को आपस में वार्ता करते देखना एवं उक्त के मध्य हुई वार्ता को यदि सम्भव हो तो सुनने का प्रयास तथा रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करावे। तत्पश्चात परिवादी व कानि0 श्री भीम सिंह को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.15 पी.एम पर श्री भीम सिंह कानि0 192 ने जरिये वाटसएप काल श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि मैं आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय अलवर से परिवादी की मोटरसाईकल से रवाना हुये रास्ते में परिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी पटवारी नरेश मीणा के मोबाईल पर फोन कर पटवारी से मिलने के लिये पूछा तो पटवारी ने ग्राम माचाडी में पंचायत भवन पर मिलने के लिए कहा जिस पर मै व परिवादी ग्राम माचाडी में पंचायत भवन के नजदीक पहूंचे जहां पर मैने विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर पंचायत भवन के अन्दर चला गया जिस पर मै बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी उक्त तहसील कार्यालय के भवन से बाहर निकला और मेरें पास आया और चालू हालात में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित मेरे पास रख लिया और परिवादी ने बताया आरोपी पटवारी से खेत की जमाबंदी पर लगे कोर्ट स्टे नोट हटाने के संबंध में बात हो गई है और पटवारी ने मेरे से 1000 रूपये रिश्वत के ले लिए तथा पटवारी ने कहा कि मेरे तो जो तय हुये है उनने तो देयगो तू इस पर मैने पन्द्रह हजार रूपया बताये जिसमे आप सात हजार पहले ले चुके हो इस

पर पटवारी ने कहा कागज तो लाके देयो इस पर परिवादी ने कहा कागज तो ला देंगे या काम हो जाए नोट ना लगनो चाहिये दुबारा इस पर पटवारी ने कहा तेरी सिक्सवन हो जाए वा के बाद क्यूं लगेगो बात कही है। तत्पश्चात श्री भीम सिंह कानि. ने परिवादी श्री विजय कुमार मीणा से श्री महेन्द्र कुमार एएसपी की वार्ता करवाई तो परिवादी द्धारा उपरोक्त बातो ताईद की। इस पर श्री महेन्द्र कुमार एएसपी ने परिवादी से श्री भीमसिंह कानि. के साथ कार्यालय आने की कही, जिस पर परिवादी ने कहा सर मेरी स्वास्थय ठीक नहीं है, इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत दी गई और श्री भीम सिंह कानि0 को परिवादी को ग्राम माचाडी में ही छोडकर वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रख कर कार्यालय आने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 6.30 पी.एम पर श्री भीम सिंह कानि0 कार्यालय में उपस्थित आया और अपने पास से कार्यालय का विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर निकालकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया और बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय अलवर परिवादी के साथ रवाना हुये रास्ते में परिवादी श्री विजय कुमार मीणा ने अपने मोबाईल से आरोपी पटवारी नरेश मीणा के मोबाईल पर फोन कर पटवारी की लोकेशन के बारे में पूछा तो पटवारी ने ग्राम माचाडी में पंचायत भवन पर मिलने के लिए कहा। ग्राम माचाडी में पंचायत भवन के नजदीक पहूंचे जहां पर मैने विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री विजय कुमार मीणा को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर पंचायत भवन के अन्दर चला गया और मै अपनी उपस्थिति छुपात हुये बाहर खडा हो गया कुछ समय बाद परिवादी उक्त तहसील कार्यालय के भवन से बाहर निकला व मेरें पास आया और डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू हालात में मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैने सुरक्षित अपने पास रख लिया और परिवादी ने बताया आरोपी पटवारी से खेत की जमाबंदी पर लगे कोर्ट स्टे नोट हटाने के संबंध में बात हो गई है और पटवारी ने मेरे से 1000 रूपये रिश्वत के ले लिए तथा पटवारी ने कहा कि मेरे तो जो तय हुये है उनने तो देयगो तू इस पर मैने पन्द्रह हजार रूपया बताये जिसमे आप सात हजार पहले ले चुका है इस पर पटवारी ने कहा कागज तो लाके देयो इस पर मैनें कहा कागज तो ला देंगे या काम हो जाए नोट ना लगनो चाहिये दुबारा जिस पर पटवारी ने कहा तेरी सिक्सवन हो जाए वा के बाद क्यूं लगेगो बात कही है। उपरोक्त बाते मैनें आपको जरिये वाट्सएप कॉल अवगत करवा दी गई थी और परिवादी से वार्ता करवाई थी तो परिवादी ने उपरोक्त बात फोन पर आपको बता दी थी। आपके निर्देशानुसार परिवादी को ग्राम माचाडी में ही छोडकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास रख कर कार्यालय आ गया। तत्पश्चात श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्धारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड को प्राप्त कर रिकॉर्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी से आरोपी पटवारी ने 1000/-रूपये प्राप्त करना उक्त वार्ता में रिश्वत मांग स्पष्ट नहीं होने के कारण पुनः रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाएगा। उक्त रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 8.9.2025 को वक्त करीब 9.30 ए.एम पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर, चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर जरिये फर्द श्री भीम सिंह कानि0 को सुपुर्द किया जाकर श्री महेन्द्र कुमार एएसपी द्धारा हिदायत दी गई कि वह कस्बा रैणी पहूंच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री विजय कुमार मीणा को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे तथा बाद रिश्वत मागं सत्यापन के तथ्यों से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करावे। तत्पश्चात श्री भीम सिंह कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.30 पी.एम पर श्री भीम सिंह कानि0 ने जरिये वाटसएप कॉल कर श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि मैं आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय अलवर से रवाना होकर कस्बा रैणी बस स्टैण्ड पहूंचा जहां परिवादी के मोबाईल पर सम्पर्क कर बस स्टैण्ड पर ही मिलने को कहा तो कुछ समय बाद परिवादी श्री विजय कुमार मीणा आ गया। बस स्टैण्ड रैणी से परिवादी की मोटरसाईकिल से तहसील कार्यालय रैणी के नजदीक पहूंचे जहां पर मैने विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर तहसील कार्यालय रैणी के अन्दर चला गया और मै अपनी उपस्थिति छुपाते हुये बाहर खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी तहसील कार्यालय के भवन से बाहर निकला व मेरें पास आया और चालू हालात में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित मेरे पास रख लिया और परिवादी ने बताया आरोपी पटवारी के पास भीड भाड होने के कारण रिश्वत मांग वार्ता नहीं हो पाई। तत्पश्चात समय करीब 2.00 पी0एम0 पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर तहसील कार्यालय रैणी के अन्दर चला गया और मै बाहर खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी उक्त तहसील कार्यालय के भवन से बाहर निकला व मेरें पास आया और चालू हालात में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया और परिवादी ने बताया आरोपी पटवारी से मेरे पिताजी व चाचाजी के नाम जमीन से नोट हटाने के लिए 2000 रूपये ले लिये है इस प्रकार आठ हजार रूपये पहले और दो हजार ये इस प्रकार दस हजार रूपये होगा और एक दो हजार रूपये और ले लीजो इस पर पटवारी ने कहा तेने ही तय करा यार अब तू तय करा जिसपे भी राजी नही इस पर मैनें कहा तय करा साहब तय तो करा आपसू पन्द्रह की कही पन्द्रह दे देतो इसमे लफडो काफी हो गयो साहब और पटवारी नरेश ने कहा

की मैं कल नही आऊं आप तो मुझे सिक्सवन ला दीजो तहसीलदार जी और इनसे आदेश करवा आनलाईन करवा दीजो, मुझे फोन कर दीजो हालांकि मेरे पास मैसेज आ जायेगो। अब वो दो हजार रूपये और रिश्वत लेने को सहमत हो गया है। तत्पश्चात श्री भीम सिंह कानि. ने परिवादी से वार्ता करवाई तो उपरोक्त बाते ताईद की। परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली 2000 रूपये साथ लेकर श्री भीमसिंह कानि. के साथ कार्यालय आने की कही जिस पर परिवादी ने कहा साहब मेरे पास अभी रिश्वत में दी जाने वाली 2000 रूपये की व्यवस्था नहीं है, मैं एक दो दिन में पैसे की व्यवस्था होते ही आपके एसीबी कार्यालय आ जाऊंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत दी गई और श्री भीम सिंह कानि0 को परिवादी को कस्बा रैणी छोडकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास रख कर कार्यालय आने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 6.30 पी.एम श्री भीम सिंह कानि0 कार्यालय में उपस्थित आया और अपने पास से कार्यालय का विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर निकालकर श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया और बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय अलवर से रवाना होकर कस्बा रैणी बस स्टैण्ड पहूंचा जहां परिवादी के मोबाईल पर सम्पर्क कर बस स्टैण्ड पर ही मिलने को कहा तो कुछ समय बाद परिवादी श्री विजय कुमार मीणा आ गया। बस स्टैण्ड रैणी से परिवादी की मोटरसाईकिल से तहसील कार्यालय रैणी के नजदीक पहूंचे जहा पर मैने विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर तहसील कार्यालय रैणी के अन्दर चला गया और मै अपनी उपस्थिति छुपाते हुये बाहर खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी उक्त तहसील कार्यालय के भवन से बाहर निकला व मेरें पास आया और चालू हालात में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैने सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने बताया आरोपी पटवारी के पास भीड भाड होने के कारण रिश्वत मांग वार्ता नहीं हो पाई। तत्पश्चात समय करीब 02.00 पी0एम0 पर विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर तहसील कार्यालय रैणी के अन्दर चला गया और मै बाहर खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी उक्त तहसील कार्यालय के भवन से बाहर निकला व मेरें पास आया और चालू हालात में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैने सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने बताया आरोपी पटवारी से मेरे पिताजी व चाचाजी के नाम जमीन से नोट हटाने के लिए 2000 रूपये ले लिये है इस प्रकार आठ हजार रूपये पहले और दो हजार ये इस प्रकार दस हजार रूपये होगा और एक दो हजार रूपये और ले लीजो इस पर पटवारी ने कहा तेने ही तय करा यार अब तू तय करा जिसपे भी राजी नही इस पर मैनें कहा तय करा साहब तय तो करा आपसू पन्द्रह की कही पन्द्रह दे देतो इसमे लफडो काफी हो गयो साहब और पटवारी नरेश ने कहा की मैं कल नही आऊं आप तो मुझे सिक्सवन ला दीजो तहसीलदार जी और इनसे आदेश करवा आनलाईन करवा दीजो, मुझे फोन कर दीजो हालांकि मेरे पास मैसेज आ जायेगो। अब वो दो हजार रूपये और रिश्वत लेने को सहमत हो गया है। उपरोक्त बाते मैनें आपको जरिये वाट्सएप काल अवगत करवा दी गई थी और परिवादी से वार्ता करवाई थी तो परिवादी ने उपरोक्त बात फोन पर आपको बता दी थी। आपके निर्देशानुसार परिवादी को कस्बा रैणी में ही छोडकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास रख कर कार्यालय आ गया। तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्धारा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मय एसडी कार्ड को प्राप्त कर रिकॉर्डर में लीड लगाकर सुना तो परिवादी से संदिग्ध आरोपी पटवारी द्धारा पूर्व में 8000 रूपये प्राप्त करना व वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के समय 2000 रूपये रिश्वत प्राप्त करना एवं 2000 रूपये रिश्वत लेने को सहमत होना पाया गया है। उक्त रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 16.09.2025 को वक्त करीब 8.00 ए.एम पर परिवादी श्री विजय कुमार मीणा श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपिस्थत आया और अवगत करवाया कि आरोपी नरेश पटवारी आज तहसील कार्यालय रैणी पर ही उपस्थित रहने की सम्भावना है तथा मैं आरोपी पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000/-रूपये (दो हजार रूपये) में साथ लेकर आया हू। तत्पश्चात वक्त करीब 8.10 ए.एम पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान श्री भीम सिंह कनिष्ठ सहायक, कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत अलवर पष्चिम व श्री राहुल सैनी, वरिष्ठ सहायक कार्यालय आबकारी विभाग अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री विजय कुमार मीणा से करवाया गया और ब्यूरो द्धारा की गई अब तक की कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री विजय कुमार मीणा द्धारा ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 01.09.2025 को दिये गये प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री विजय कुमार मीणा द्धारा ब्यूरो में दिनांक 01.09.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्त करीब 9.30 ए.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विजय कुमार मीणा को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500/-रूपये के 04 नोट कुल 2,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये गये उपरोक्त पेश शुदा नोटो को दोनो गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी मंगवाकर शीशी में से थोडा सा फिनोफ्थलीन पाऊडर एक साफ अखवार पर निकलवाकर 2,000/-रूपये के नम्बरी नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री विजय कुमार मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री राहुल सैनी, वरिष्ठ लिपिक से लिवाई गई तो परिवादी के पास बदन पर पहने हुये परिधान, मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 2,000/-रूपये के नोटों को परिवादी श्री विजय कुमार मीना की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उसे देवे तथा आरोपी उक्त नोटो को प्राप्त कर कहां पर रखता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे और आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर अपने मोबाईल फोन से कॉल /मिस कॉल कर रिश्वत स्वीकृति का ईषारा करने बाबत बताया साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि यथा सम्भव आप परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सूनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवष्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री भास्कर हैड कानि. से एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीषी को निकलवाकर गवाह श्री राहूल सैनी से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग साफ ही रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहान तथा हाजरीन को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीषी को उसका ढक्कन बंद करवाकर श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गईं तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीषी को ट्रेप बोक्स में श्री भास्कर हैडकानि के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार एवं पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को भास्कर हैड कानि. से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, भास्कर हैडकानि, एंव समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्धारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री विजय कुमार मीणा को छोडकर दोनों गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्यो तथा श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा श्री महेन्द्र कुमार एएसपी एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.09.2025 के मेमौरी कार्ड लगे सहित चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द किया गया एवं श्री भीमसिंह कानि0 को हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द करे। तत्पष्चात वक्त करीब 10.30 ए.एम. पर श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री भीम सिंह व श्री राहुल सैनी एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि, भास्कर हैड कानि0, सुण्डाराम हैड कानि0, रामजीतसिंह कानि., श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के साथ एक प्राइवेट वाहन व एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री महेश चन्द एवं श्री भीमसिंह कानि. व श्री भगवान सिंह कानि. परिवादी की मोटरसाईकिल के साथ एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब रैणी के लिये रवाना हुआ तथा श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में मुनासिब हिदायत के साथ छोडा गया। वक्त करीब 12.15 पी.एम पर श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा तहसील कार्यालय रैणी के पास, पहुचे, जहां पर वाहनों को बाहर सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को कार के अन्दर ही डिजिटल टेप रिकार्ड श्री भीम सिंह कानि. से चालू करवाकर सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत कर उसके कार्य के लिए संदिग्ध आरोपी श्री नरेश पटवारी से वार्ता करने व रिश्वती राशि देने हेतु तहसील कार्यालय रैणी के लिए रवाना किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर तहसील कार्यालय के बाहर व अन्दर खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। वक्त करीब 1.40 पी.एम पर परिवादी श्री विजय कुमार मीणा तहसील कार्यालय रैणी से बिना ईशारा किये हुये ही तहसील परिसर से बाहर आया जिसके पीछे पीछे श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के आये और परिवादी से सडक के पास खाली जगह में जाकर जिससे चालू हालत में डिजीटल टेप रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द

करके अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने अवगत कराया कि मैं आपके निर्देशानुसार टेप रिकॉर्डर सहित तहसील के अन्दर पटवारी कार्यालय में गया तों पटवारी नरेश अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं मिला जिसका कुछ समय इंतजार कर मैं कार्यालय से बाहर आया तो वह चाय की दुकान के सामने बनी वकील की बेंच पर मिला जो मुझे साथ लेकर कार्यालय में चला गया जिससे पिताजी की जमीन पर लगे नोट के संबंध में बात की तो पटवारी ने कहा नोट तो हट गया है आप सिक्सवन ले आ और पैसे मोदी फोटो कॉपी वाले को देने के लिए कहा है जिस पर मैं पैसे देने के लिए मोदी डीडराईटर की दुकान पर गया तो मोदी डीडराईटर की दुकान पर नहीं मिला इसलिए मैं बिना ईशारा किये हुये ही तहसील परिसर से बाहर आ गया और टेप रिकॉर्डर को चालू हालत में आपको सुपुर्द कर दिया। तत्पश्चात श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्ड श्री भीम सिंह कानि. से चालू करवाकर सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत कर उसके कार्य के लिए संदिग्ध आरोपी श्री नरेश पटवारी से पुनः वार्ता करने व रिश्वती राशि देने हेतु तहसील कार्यालय रैणी के लिए रवाना किया गया तथा अतिरिक्त पुसिल अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान एवं बाकी स्टाफ सदस्य भी तहसील कार्यालय के बाहर व अन्दर खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 2.35 पी.एम परिवादी रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किये बिना तहसील परिसर रैणी से बाहर निकलकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और परिवादी ने पूर्व मे सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को अपने पास से निकालकर मुझे सुपुर्द किया जिसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्धारा रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद परिवादी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोनों गवाहान के समक्ष बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार टेप रिकॉर्डर सहित तहसील के अन्दर पटवारी कार्यालय में गया तों पटवारी नरेश अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं मिला जिसका कुछ समय इंतजार कर मैं कार्यालय से बाहर आया और पटवारी नरेश द्धारा पूर्व में हुई बातचीत के दौरान मोदी डीडराईटर वाले जिसको रिश्वती राशि देने की कही थी, की दुकान पर गया तो मोदी भी दुकान पर नहीं मिला इसलिए मैं बिना ईशारा किये हुये ही तहसील परिसर से बाहर आ गया और टेप रिकॉर्डर को चालू हालत में आपको सुपुर्द कर दिया और परिवादी ने कहा कि साहब मुझे मेरे घर पर जरूरी कार्य है इसलिए मैं अब आपके साथ एसीबी कार्यालय अलवर नहीं चल सकता। तत्पश्चात श्री भास्कर हैड कानि. 59 से ट्रेप बॉक्स में से एक लिफाफा निकलवाकर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि को श्री भास्कर हैड कानि. से निकलवाकर लिफाफा में उन्ही के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात वक्त करीब 3.00 पी.एम पर परिवादी को बाद मुनासिब हिदायत कस्बा रैणी से उसके निवास/घर के लिए रवाना किया तथा श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्रीमती सुनीता हैड कानि0, भास्कर हैड कानि0, सुण्डाराम हैड कानि0, श्री रामजीत सिंह कानि, श्री भीमसिंह कानि., श्री भगवान सिंह कानि. दोनो गवाहान श्री भीम सिंह व श्री राहुल सैनी मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर अलवर व साजो सामान के कस्बा मातौर से हमराह साथ लाये एक प्राईवेट वाहन व एक सरकारी वाहन वोलेरो मय चालाक महेशचन्द के एसीबी कार्यालय अलवर रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त करीब 4.30 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्रीमती सुनीता हैड कानि, भास्कर हैड कानि0, सुण्डाराम हैड कानि0, श्री रामजीत सिंह कानि., श्री भीमसिंह कानि., श्री भगवान सिंह कानि. दोनो गवाहान श्री भीम सिंह व श्री राहुल सैनी मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर अलवर व साजो सामान के एसीबी कार्यालय अलवर पहूंचा। ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर अलवर व साजो सामान को गाडी से उतरवाकर कार्यालय में रखवाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास रखे विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से एस.डी. कार्ड Sandisk 32 GB को निकालकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा श्री भास्कर हैड कानि0 से रिश्वती राशि का लिफाफा निकलवाकर कार्यालय की दूसरी आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 24.11.2025 को परिवादी उपस्थित कार्यालय आये और बताया की पटवारी ने जमीन के रिकॉर्ड/जमाबन्दी मे दुबारा स्टे का नोट लगा दिया है और अभी उनकी ड्यूटी बीएलओ के साथ एसआईआर प्रक्रिया में लगी हुई है। जिसके कारण वो अपने ऑफिस बहुत कम आता है। पटवारी नरेश तहसील कार्यालय रैणी में बैठने पर मैं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवा दुंगा। तत्पश्चात पाबन्दशुदा गवाह श्री राहुल सैनी व भीम सिंह हाजिर कार्यालय आयें उक्त दोनों का पुनः आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री विजय कुमार मीणा से करवाया गया और ब्यूरो द्धारा की गई अब तक की कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। श्री भीम सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री राहुल सैनी, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री विजय कुमार मीणा के समक्ष परिवादी श्री विजय कुमार एवं आरोपी श्री नरेश, पटवारी, पटवार हल्का हिनौटा, तहसील राजगढ, जिला अलवर के मध्य दिनांक 01.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय रूबरू वार्ता के रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी को कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था। कार्यालय की आलमारी में रखवाये गये एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी को दिनांक 24.11.2025 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया जिसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री विजय सिंह मीणा ने अपनी स्वयं व आरोपी श्री

नरेश, पटवारी, पटवार हल्का हिनौटा, तहसील राजगढ जिला अलवर की आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वाईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री विजय सिंह मीणा ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्धारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कापी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A-1, A -2 , A -3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क A-1, A -2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A-1, A -2 अंकित कर शील्डमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A -3 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड को एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली प्लास्टिक डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलडमोहर कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री विजय कुमार एवं आरोपी श्री नरेश, पटवारी, पटवार हल्का हिनौटा, तहसील राजगढ जिला अलवर के मध्य दिनांक 08.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन व दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत लेन देन के समय रूबरू वार्ताओं के एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था। कार्यालय की आलमारी में रखवाये गये एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड को दिनांक 24.11.2025 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड को विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से दिनांक 08.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया तो उक्त वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री विजय कुमार मीणा ने अपनी स्वयं व आरोपी श्री नरेश, पटवारी, पटवार हल्का हिनौटा, तहसील राजगढ जिला अलवर की आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री विजय कुमार मीणा ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। जरिये फर्द तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात उक्त कार्यवाही से संबंधित पत्रावली व संबंधित दस्तावेज व एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड को विभागीय कम्प्यूटर से निकालकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। कार्यालय में पूर्व से मौजूद गवाह श्री भीम सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री राहुल सैनी, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री विजय कुमार मीणा के समक्ष परिवादी श्री विजय कुमार एवं आरोपी श्री नरेश, पटवारी, पटवार हल्का हिनौटा, तहसील राजगढ जिला अलवर के मध्य दिनांक 08.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन व दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत लेन देन के समय रूबरू वार्ताओं के एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था। कार्यालय की आलमारी मे रखवाये गये एसडी मैमोरी सनडिस्क 32जीबी के मैमोरी कार्ड को दिनांक 24.11.25 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड को विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से दिनांक 16.09.25 को रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया तो निम्न वार्ताएं रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री विजय कुमार मीणा ने अपनी स्वयं व आरोपी श्री नरेश, पटवारी, पटवार हल्का हिनौटा, तहसील राजगढ जिला अलवर की आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वाईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री विजय कुमार मीणा ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की उक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्धारा टाईप की गई। उक्त प्रकिया में Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप की जो ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। उक्त Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड में दिनांक 08.09.2025 वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 16.09.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता की पैनड्राईव अग्रिम कार्यवाही बाद बनाई जावेंगी। इस लिए उक्त Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.05 पी.एम पर सिल्डशुदा आर्टीकल एसडी कार्ड, मार्क SD व सिल्डषुदा पेन ड्राईव मार्क A-1, A-2, को मालखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुपुर्द कर जमा चैकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार का स्थानान्तरण होने रनिंग नोट मय पत्रावली/संबंधित दस्तावेज श्रीमती अंजू महेन्द्रा पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात अंजु महेन्द्रा पुलिस निरीक्षक का स्थानान्तरण होने पर उपरोक्त कार्यवाही का रनिंग नोट मय पत्रावली/संबंधित दस्तावेज श्री परमेश्वर लाल, उप

पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस को चौकी चार्ज देने पर उपरोक्त कार्यवाही का रनिंग नोट मय पत्रावली/संबंधित दस्तावेज उप पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात मन उप पुलिस अधीक्षक श्री शब्बीर खान उप पुलिस अधीक्षक उक्त प्रकरण में परिवादी का प्रार्थना पत्र मय रनिंग नोट, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB प्राप्त कर अवलोकन किया गया। मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा रिश्वती राशि 2000/-रूपये को लिफाफा सहित दूसरी आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 26.02.2025 को वक्त करीब 3.30 पी.एम पर परिवादी श्री विजय कुमार मीणा कार्यालय उपस्थित आया और मन उप अधीक्षक पुलिस अपना परिचय दिया जाकर पूर्व में करवायी गई उपरोक्त कार्यवाही के बारे में बताते हुये एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे द्धारा आपके कार्यालय में दिनांक 01.09.2025 को श्री नरेश मीणा पटवारी पटवार हल्का हिनोटी के द्धारा रिश्वत मांगने के क्रम में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर आपके कार्यालय द्धारा दिनांक 01.09.2025 व 08.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तथा दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत लेनदेन की कार्यवाही के समय पटवारी ने हमारी जमीन पर दुबारा स्टे आने से मुझसे रिश्वत नहीं लेने से उस रोज ट्रेप कार्यवाही नहीं हुई। हमारी जमीन पर स्टे लगा हुआ है। अब मेरे से रिश्वत नहीं ले रहा है। तत्पश्चात उपस्थित गवाहान एवं परिवादी श्री विजय कुमार मीणा के समक्ष परिवादी श्री विजय कुमार एवं आरोपी श्री नरेश, पटवारी, पटवार हल्का हिनौटा, तहसील रैणी जिला अलवर के मध्य दिनांक 08.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन व दिनांक 16.09.2025 को रिश्वत लेन देन के समय रूबरू वार्ताओं के एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड को विभागीय लैपटाप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया तथा पूर्व में बनाई गई फर्द ट्रांसक्रिप्ट से मिलान किया गया। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन नई पेनड्राईव मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकार्डिंग फाईल के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लैपटाप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कापी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटाप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर साफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली जाकर पेनड्राईव मार्क B-1, B -2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B-1, B -2 अंकित कर शील्डमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B-3, को खुला रखा गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटाप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की हेश वैल्यु निकाली गई।तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.09.2025 व लेनदेन वार्ता दिनांक 16.09.2025 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 6.40 पी.एम पर सिल्डषुदा आर्टीकल एसडी कार्ड, मार्क SD-1 व सिल्डशुदा पेन ड्राईव मार्क B-1, B -2 को मालखाना प्रभारी श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से परिवादी श्री विजय कुमार मीणा पुत्र श्री जलधारी मीणा, निवासी गांव कनिटी, तहसील रैणी, जिला अलवर की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.09.2025 व 08.09.2025 एवं दिनांक 16.09.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री विजय कुमार मीणा के पिताजी व चाचाजी के नाम ग्राम कानेटी में स्थित कृषि भूमि पर पारिवारिक विवाद होने पर माननीय सिविल कोर्ट राजगढ में दिवानी वाद दायर होने पर न्यायालय द्धारा स्थगन आदेश जारी किये गये, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्धारा दिनांक 06.04.2022 को पूर्व के जारी स्थगन आदेश को निरस्त करने पर परिवादी से उपरोक्त न्यायालय स्थगन नोट को पटवार हल्का के राजस्व रिकार्ड से हटाने के लिए पूर्व में 8000/-रूपये प्राप्त करना व वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के समय 2000/- रूपये की राशि प्राप्त करना एवं 2000/-रूपये और रिश्वत मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया है। अतः श्री नरेश कुमार मीना पुत्र श्री हरगोविन्द मीना उम्र 37 साल जाति मीना निवासी ग्राम हिरनोटी, पोस्ट पाडा तहसील रैणी जिला अलवर तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का कानेटी तहसील रैणी जिला अलवर हाल तहसील भीनमाल जिला जालौर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। भवदीय (शब्बीर खान), उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अलवर प्रथम,अलवर.......कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम-अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)

में आरोपी श्री नरेश कुमार मीना पुत्र श्री हरगोविन्द मीना उम्र 37 साल जाति मीना निवासी ग्राम हिरनोटी, पोस्ट पाडा तहसील रैणी जिला अलवर तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का कानेटी तहसील रैणी जिला अलवर हाल तहसील भीनमाल जिला जालौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरजीत सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 73 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1293-96 दिनांक 05.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- जिला कलक्टर, अलवर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम-अलवर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURJEET SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/08/2026 15:33:42

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)